

8

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या- 558 पी/छ:-पु-6-18-1800/2018
लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2018

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के उपबन्धों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में राज्यपाल आदेश देते हैं कि यू.पी. पुलिस रेगुलेशन्स में शब्द "ग्राम चौकीदार" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "ग्राम प्रहरी" रख दिये जायेंगे।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।।
- 3- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जनपद प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
- 8- गृह (पुलिस) अनुभाग-1/2/3/4/7/11/12/13/14, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(धोरिन्द्र कुमार)
उप सचिव।

MC R